संख्या-846/2018/1576/22-2-2018-17(69)/201

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 नवम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी प्रभावती चौरसिया पत्नी श्री बनवारी, निवासिनी-जिला-कुशीनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक 07.08.2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी प्रभावती चौरसिया पत्नी श्री बनवारी, जो-कस्बा सेवरही थाना सेवरही जिला-कुशीनगर की रहने वाली है। बन्दी द्वारा जहरीली शराब बिहार प्रान्त से कुशीनगर लाकर 10 लोगो द्वारा बेचें जाने के कारण दिनांक 30.04.1998 को शराब पीने से 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0नं0 92/1998 धारा 272, 273, 328, 304 आई0पी0सी0 व 62, आबकारी अधि0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना के आदेश दिनांक 01.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.05.2018 तक 10 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 01 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की आयु कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी महिला बन्दी प्रभावती चौरसिया (बन्दी संख्या-248/08) पत्नी श्री बनवारी, निवासिनी-जिला-कुशीनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-846/2018/1576(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in